



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 28.05.2026

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन व थाना एट पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त भूपेन्द्र कुशवाहा पुत्र मुन्ना कुशवाहा निवासी ग्राम हरदुआ थाना एट जनपद जालौन द्वारा **वादी की नावालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर गलत कृत्य करने व जान से मारने की धमकी देने** के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना एट पर मु0अ0सं0 67/18 धारा 506 भादवि व 5J(II)2/6 पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त उपरोक्त को **20 वर्ष का कारावास एवं 3,05,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना एट पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. भूपेन्द्र कुशवाहा उपरोक्त को दोषी पाते हुए **20 वर्ष का कारावास एवं 3,05,000/- रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
रणकेन्द्र भदौरिया



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे0का0 सुधीर सिंह
कोर्ट मुहरिर



का0 कृष्ण कांत कटारा
कोर्ट पैरोकार